उत्तराखंड में अतिक्रमण विरोधी अभियान

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड के **हलद्वानी के बनभूलपुरा इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई,** जब ज़िला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम ने इलाके में एक 'अवैध मदरसे' को ध्वस्त करने का प्रयास किया।

- देखते ही गोली मारने के आदेश (Shoot-at-sight) जारी किये गए और कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया।

मुख्य बिंदु:

- अधिकारियों के मुताबिक, न्यायालय के आदेश के बाद ज़िला प्रशासन की एक टीम इलाके में **अतिक्रमण विरोधी अभियान** चलाने गई थी।
  - तभी कुछ उपद्रवियों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, जिसमें कई पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हो गए।
- बनभूलपुरा वही इलाका है जहाँ सैकड़ों मुस्लिम परिवार रेलवे ट्रैक के किनारे 2 कि.मी की दूरी में रह रहे हैं, उन्हें अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रेलवे ने उन्हें बेदखली का नोटिस दिया है, **क्योंकि उनके घर** रेलवे **की ज़मीन पर बने हैं।**
- उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश के खिलाफ हफ्तों के विरोध के बाद, निवासियों ने बाद में सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और यह मामला विचाराधीन है।

विचाराधीन

- विचाराधीन एक **लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है "निर्णय के अधीन"** या "न्यायालय द्वारा विचाराधीन।"
- कानूनी संदर्भों में, यह एक ऐसे मामले को संदर्भित करता है जो **वर्तमान में न्यायालय के समक्ष लंबित है** और इसलिये सार्वजनिक चर्चा या टिप्पणी हेतु उपलब्ध नहीं है।
- विचाराधीन नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **मुकदमा या सुनवाई निष्पक्ष** हो और इसमें शामिल पक्ष बाहरी प्रभावों से पूर्वाग्रहग्रस्त न हों।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/anti-encroachment-drive-turns-violent-in-uttarakhand